

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल महोदय (म०प्र०) ग्वालियर



RS 199-II/17

शैलेन्द्र कुमार पाण्डेय तनय स्व० श्री भैयालाल पाण्डेय उम्र-44 वर्ष, पेशा-खेती,
निवासी ग्राम-बगौहा, तहसील-गोपदबनास, जिला-सीधी (म०प्र०)

Rs. 30/-

पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

1. राघोप्रसाद तनय स्व० श्री खिरोधनराम ब्रा० उम्र-58 वर्ष,
2. अम्बिका प्रसाद तनय स्व० श्री खिरोधनराम ब्रा० उम्र-55 वर्ष,
3. राजीवलोचन तनय स्व० श्री खिरोधनराम ब्रा० उम्र-43 वर्ष,
4. राजकुमार शर्मा तनय स्व० श्री खिरोधनराम ब्रा० उम्र-40 वर्ष.
5. मुस० रमनी देवी पत्नी स्व० श्री खिरोधनराम ब्रा० उम्र- 80 वर्ष,
6. महादेव तनय सुग्रीव चमार उम्र- 53 वर्ष, सभी निवासी ग्राम- बगौहा,
तहसील- गोपदबनास, जिला- सीधी (म०प्र०)
7. म०प्र० शासन

अनावेदकगण

पुनरीक्षण विरुद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान्
अनुविभागीय अधिकारी महोदय गोपदबनास,
जिला-सीधी पीठासीन अधिकारी महोदय
श्री शैलेन्द्र सिंह साहब के न्यायालय के
अपील प्रकरण क्रमांक-309/अपील/09-10
में पारित आदेश दिनांक- 27.04.2017 से
व्यथित पुनरीक्षण।

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा- 50 म०प्र०

भू-राजस्व संहिता 1959

शैलेन्द्र कुमार पाण्डेय
21/04/2017

शैलेन्द्र कुमार पाण्डेय

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R-5199-II/17

जिला-सीधी

शैलेन्द्र कुमार पाण्डेय / राधोप्रसाद

(1)	(2)
19.12.18-	<p>1. आवेदक की ओर से श्री अनूपदव पाण्डेय अधिवक्ता द्वारा सह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, तहसील गोदबनास, जिला सीधी के प्रकरण क्रमांक 309/अपील/2009-10 में पारित आदेश दिनांक 27.04.17 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला सीधी के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 15.03.19 को कलेक्टर सीधी के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;">  सदस्य </p> <p style="text-align: center;">  </p>

उपस्थित जिला न्यायाधीश

भू-राजस्व संहिता 1959

शैलेन्द्र कुमार पाण्डेय